ब्यावर
14/17/16

भोमा बनाम सरकार

तारीख पेशी	बनाम 2017/00014 हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर श्री ......अशोक मालिक......श्री ......राजकीय अधिवक्ता......	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
2019 7.1.2018	पत्रावली वास्ते आदेशार्थ पेश हुई। अभिभाषक अपीलांट एवं राजकीय अभिभाषक उपस्थित।	

अभिभाषक अपीलांट ने दोराने बहस निवेदन किया कि प्रार्थी / अपीलांट भोम के विरूद्ध पटवारी हल्का की रिपोर्ट अन्तर्गत धारा 91 भू–राजस्व अधिनियम के तहत् नायब तहसीलदार, ब्यावर को प्रस्तुत होने पर धारा 91 भू–राजस्व अधिनियम के तहत् कार्यवाही प्रारम्भ की गई। पटवारी हलका की रिपोर्ट अनुसार अपीलांट ने खसरा नम्बर 102 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 102/540 रकबा 6 बीघा भूमि पर 2066 में अतिक्रमण कर विवादित भूमि पर फसल बोई गई अतःप्रार्थी को बेदखल करने का नोटिस प्रार्थी/अपीलांट को जारी किया गया। अपीलांट की ओर से अधिवक्ता नियुक्त किया गया था एवं दिनांक 09.10.2009 को अपीलांट की ओर से अधिवक्ता उपस्थित होकर जवाब हेतु समय चाहा गया परन्तु बाद में अपीलांट के अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित नही होने के कारण अपीलांट के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही करते हुए पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अपीलांट को अतिक्रमी घोषित करते हुए तहसीलदार ,द्वारा दिनांक 07.12.2009 को अपीलांट को विवादित भूमि से बेदखल करने का आदेश प्रदान किया गया एवं रूपये 2.32 का पच्चास गुना राशि रूपये 116/–पैनल्टी आरोपित की गई एवं पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानते हुए अपीलांट को दो माह की सिविल कारावास की सजा भी प्रदान की गई। तहसीलदार,ब्यावर के आदेश दिनांक 07.12.2009 से व्यथित होकर प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम के तहत् जिला कलक्टर, अजमेर के न्यायालय में प्रस्तुत की जो दिनांक 17.11.2016 को निरस्त कर दी गई। जिला कलकअरद्व अजमेर के आदेश दिनांक 17.11.2016 से असुंतष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष पेश की हैं।

अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस को आगे बढ़ाते हुए बताया कि अपीलांट ने अपनी ओर से पैरवी करने हेतु अधिवक्ता नियुक्त कर दिया था परन्तु अपीलांट की जानकारी के बिना ही उसकी गैर हाजिरी में एक तरफा तौर आदेश पारित करने में कानूनी भूल की है। अपीलांट को अपनी ओर से पैरवी करने हेतु एवं अपने पक्ष में दस्तावेजी साक्ष्य व मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत करने का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया कारण से तहसीलदार का आदेश न्यायिक सिद्धान्तो के विपरीत होने के कारण निरस्त योग्य हैं। प्रार्थी / अपीलांट द्वारा विवादित भूमि के सम्बन्ध में एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राज.काश्तकारी अधिनियम के तहत् राज.सरकार के विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर के न्यायालय में प्रस्तुत किया, उन्होने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 21.10.2010 के द्वारा विवादित भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित करते हुए राज्य सरकार को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद कर दिया। उक्त आदेश के विरूद्ध अपील मान्नीय राजस्व मण्डल राज.,अजमेर में प्रस्तुत की गई, जिसे मण्डल ने खारिज कर दी अर्थात उक्त आदेश आज दिनांक तक यथावत् हैं। न्यायालय हाजा से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार कर तहसीलदार, ब्यावर का आदेश दिनांक

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

ब्यावर 14/17/76 भोमा बनाम सरकार

तारीख पेशी	बनाम 2017/0014 हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर श्री सतीश चारीव .... श्री राजकीय अभिभाषक	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
लगातार	07.12.2009 एवं जिला कलक्टर, अजमेर का आदेश दिनांक 17.11.2016 को निरस्त करने के आदेश प्रदान करें। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 की ओर से राजकीय अभिभाषक ने दौराने बहस अपील निवेदन किया कि अभिभाषक अपीलांट का यह कहना कि अपीलांट को अधीनंस्थ न्यायालय तहसीलदार,ब्यावर ने सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गलत हैं। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार,ब्यावर द्वारा अपीलांट को साक्ष्य व सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया गया था एवं अपीलांट विवादित आराजी का पश्चातवर्ती अतिक्रमी है इसलिए तहसीलदार, ब्यावर व जिला कलक्टर, अजमेर के आदेश विधि सम्मत है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज की जावें। अभिभाषक उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालयों के रिकार्ड का अवलोकन किया गया एवम् प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन पत्रावली में उपलब्ध अभिलेख, अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय प्रति का अवलोकन एवम् अभिभाषक अपीलांट द्वारा बहस के दौरान दिये गये तर्को के विवेचन उपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते है कि हस्तगत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार,ब्यावर ने ना तो प्रार्थी (सरकार/पटवारी) एवं ना हीं अप्रार्थी/अपीलांट के बयान इत्यादि करवायें है इस प्रकार से यह जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक प्रक्रिया की पालना नहीं की गई हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने केवल पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अपीलांट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानकर निर्णय पारित किया हैं । सिविल कारावास की सजा जैसे आदेश में पक्षकार को विधिवत सुनवाई का अवसर दिया जाना जाहिए तथा साक्ष्य सबूत लिये जाते है, जो प्रस्तुत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार,ब्यावर के द्वारा नहीं किया गया हैं। चूंकि अपीलांट ने अपील में यह कथन किया कि उसने विवादित आराजी पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण नहीं किया है तथा वर्तमान में अपीलांट का किसी भी प्रकार का अतिक्रमण नहीं हैं। अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनने के बाद न्यायहित में अपील को इस प्रकार निर्णित किया जाता हैं कि यदि अपीलांट अपने पक्ष में में उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 21.10.2010 में अंकित विवादित आराजी बाबत् दस्तावेज प्रस्तुत करते है तो उसके विरूद्ध बेदखल की कार्यवाही नहीं की जावें तथा शेष रकबें पर 15 दिवस में विवादित आराजी से कब्जा हटाने बाबत् अपना शपथ पत्र प्रस्तुत कर देता है तो तहसीलदार,ब्यावर स्वंय मौका निरीक्षण एवं मौके की ताईद करने के बाद में यदि ऐसा मानते हैं अपीलांट द्वारा अपना कब्जा भौतिक रूप से हटा लिया गया हैं तो ही तहसीलदार, ब्यावर द्वारा दिनांक 07.12.2009 के आदेश में जो दो माह के सिविल कारावास की सज़ा दी गई है उसे निरस्त माना जावें किन्तु उक्त निर्णय में दिये गये शास्ति (जुर्माना) के आदेश	लगातार

ब्यावर
14/7/16

तारीख पेशी	बनाम 2017/00014 हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर श्री ...... श्री	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
लगातार	वसूली योग्य होगें। यदि अपीलांट 15 दिवस तक अपीलांट कब्जा हटाने के संदर्भ में अपना शपथ–पत्र नहीं देता हैं एवम् तहसीलदार,ब्यावर द्वारा मौका निरीक्षण के बाद भौतिक रूप से कब्जा हटाया जाना तस्दीक नहीं होता है तो इस तरह का उल्लेख तहसीलदार, ब्यावर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 07.12..2009 जिसमें अपीलांट को दो माह के सिविल कारावास की दी गयी सजा के आदेश प्रभावी रहेगें। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालयों को भिजवायी जावें। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।	